न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मोनिका बलारा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 40 / 2017

आरसीएमएस नम्बरः— 2017 / 00069

1. पुष्पा पत्नी पारसमल पुत्री चौरूलाल जाति सोनी निवासी देशनोक तहसील व जिला बीकानेर ।

—–वादीया

बनाम

1. गोपाल लाल } पुत्रगण चौरूलाल जाति सोनी निवासी पारीक चौक, नया शहर
2. सुन्दरलाल } तहसील व जिला बीकानेर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर ।

—–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः—

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक वादीया की ओर से ।
2. श्री बहादुर राम सुथार, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ।
3. श्री चन्द्रशेखर छंगाणी, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से ।

—:निर्णयः— **दिनांकः— 31.07.2018**

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया पुष्पा पारीक द्वारा एक वाद पत्र बनाम श्री गोपाल लाल वगैराह, अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम नाल बड़ी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 62 तादादी 4.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 130 तादादी 6.60 हैक्ट कुल तादादी 10.65 हैक्टेयर भूमि में वादीया, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 बहिब निहित है। वादीया व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शान्ति पूर्वक अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है । वादीया को अपने हिस्से की भूमि को सुधारने व अन्य कार्यों हेतु लोन की आवश्यकता है, जिसके लिए वादीया वादगत भूमि में अपने हिस्से 1/3 का खाता विभाजन "By Meets And Bounds" के तहत ''अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी'' आधार पर करवाना चाहती है । जिसकी वह विधिक अधिकारी है।

2. वाद–पत्र के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिलाया गया ।

3. जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री बहादुर राम सुथार व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर छंगाणी उपस्थित आये तथा प्रकरण में वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुवें कथन किया कि वादगत भूमि का खाता विभाजन "By Meets And Bounds" के तहत ''अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी'' आधार पर किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । वादपत्र में वादीया ने निवेदन किया कि वादगत भूमि ग्राम नाल बडी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 62 तादादी 4.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 130 तादादी 6.60 हैक्ट कुल तादादी 10.65 हैक्टेयर भूमि को By Meets and Bound के तहत " अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी " भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा अलग कर नक्शा बनाया जाकर लगान अलग से निर्धारित किया जावें। इस पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त वादगत भूमि एक संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि हैं । जिसमें वादीया व प्रतिवादी सं. 1 , 2 का 1/3 प्रत्येक का हिस्सा हैं, जिसपर वे काबिज काश्त हैं। साथ ही वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने भी कथन किया कि वाद पत्र का निस्तारण **"By Meets and Bound"** के आधार पर विभाजन करने पर उन्हें कोई एतराज नहीं हैं ।

5. प्रकरण में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का निवेदन स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं । तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को वादगत भूमि ग्राम नाल बड़ी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 62 तादादी 4.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 130 तादादी 6.60 हैक्ट कुल तादादी 10.65 हैक्टेयर के विभाजन के प्रस्ताव **"By Meets and Bound"** के आधार पर तैयार किये जाकर उनके खाते व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शें में अलग–अलग रंगों से दर्शातें हुवें प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन की प्राथमिकी डिक्री पर्चा जारी हो । निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर